UPGK010075412024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट–4 , गोरखपुर।

उपस्थितः नन्द कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा

दाण्डिक निगरानी संख्या–226/2024

नीतू यादव पुत्री गिरजेश यादव, पत्नी नितीश यादव,

निवासी–ग्राम बेला जगत बेला, थाना चिलुआताल, जिला गोरखपुर।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य,

2. रामसूरत पुत्र स्व० पारसनाथ,

निवासी–ग्राम हर्दी, बेलावातार, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर।

.....**विपक्षीगण।**

निगरानी दाखिला तिथि–08.08.2024,

निर्णय तिथि–10.03.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता नीतू यादव द्वारा विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, गोरखपुर द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0–1555/2024 में पारित आदेश दिनांकित 29.07.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान दण्डाधिकारी ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को निरस्त किया है।

2. निगरानी की पृष्ठभूमि के तथ्य यह है कि निगरानीकर्ता/आवेदिका नीतू यादव द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि "वह दिनांक 15.04.2024 को समय करीब 8 बजे सुबह मगहर कबीर स्थली, मगहर व शिवमंदिर पर दर्शन करने गयी थी। वहीं पर उसके पति के मामा रामसूरत मिले और उससे बात करते हुए रेलवे लाईन के किनारे माता मंदिर की तरफ चलने के लिए कहा तथा वहीं बैठ कर बात करने लगे तथा रामसूरत यादव वहां सुनसान देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे और उसका स्तन दबाने लगे। उक्त का विरोध आवेदिका द्वारा करने पर रामसूरत ने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड दिया है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगी तो तुम्हारा तुम्हारे पति से सुलह करा देंगे। आवेदिका रामसूरत को डाटते हुए वहीं से जाने लगी तो रामसूरत उसे जबरदस्ती वहीं पर जमीन पर पटक दिया तथा उसकी शलवार खोलकर मुंह दबाकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। आवेदिका ने शोर करने का प्रयास किया तो रामसूरत यादव ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आवेदिका द्वारा घटना की सूचना थाना सहजनवां, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने पर क्षेत्राधिकार के न्यायालय में

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० दाखिल कर थाना प्रभारी थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश की याचना की गयी।

विचारण न्यालालय के समक्ष आवेदिका की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति दाखिल की गयी।

आवेदिका के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर संबंधित थाने से आख्या आहूत कर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलनोपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने योग्य न पाते हुए इसे प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 द्वारा निरस्त कर दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

3. निगरानी हेतु मुख्यतः यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक परिशीलन किये बगैर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए कल्पनाओं के आधार पर सरसरी तौर पर पारित किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। रामसूरत यादव द्वारा रेलवे लाइन के किनारे माता मंदिर की तरफ सुनसान जगह देखकर उसके साथ छेड़खानी की गयी तथा उसके साथ बलात्कार किया गया तथा उसके शोर करने के प्रयास पर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रार्थनापत्र में उल्लिखित कथनों के आधार पर संज्ञेय प्रकृति का अपराध प्रकट होता है, जिसके आधार पर न्यायिक दृष्टि में मुकदमा दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। उपरोक्त आधारों पर प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.07.2024 को विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण बताते हुए निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी हैं।

4. विपक्षी सं0–2 पर पर्याप्त तामीला व उसे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर के बावजूद उसकी ओर से निगरानी पर आपत्ति व बहस हेतु किसी के उपस्थित न आने पर निगरानीकर्ता व राज्य को सुनकर निगरानी का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया गया।

5. निगरानी के निस्तारण हेतु निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व राज्य को सुना तथा प्रश्नगत आदेश एवं निगरानी पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी हेतु मुख्यतः यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक परिशीलन किये बगैर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए कल्पनाओं के आधार पर सरसरी तौर पर पारित किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। रामसूरत यादव द्वारा रेलवे लाइन के किनारे माता मंदिर की तरफ सुनसान जगह देखकर उसके साथ छेड़खानी की गयी तथा उसके साथ बलात्कार किया गया तथा उसके शोर करने के प्रयास पर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रार्थनापत्र में उल्लिखित कथनों के आधार पर संज्ञेय प्रकृति का अपराध प्रकट होता है, जिसके आधार पर न्यायिक दृष्टि में मुकदमा दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा निगरानीकर्ता के तर्कों का विरोध करते हुए कहा गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थनापत्र 156(3) दं0प्र0सं0 व उसके साथ संलग्न साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन कर न्यायिक मस्तिष्क व विवेक का सम्यक प्रयोग करते हुए प्रश्नगत

आदेश पारित किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि व तथ्यों के सर्वथा अनुकूल है जिसमें कोई अवैधानिकता, अनियमितता या विधिक त्रुटि नहीं है, जिसके कारण प्रस्तुत निगरानी निरस्त होने योग्य है।

7. उल्लेखनीय है कि निगरानी के स्तर पर इस न्यायालय को मामले के तथ्यों पर विचार न करके मात्र आलोच्य आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्य के बारे में देखा जाना है तथा उपरोक्त हेतु मात्र उन्हीं सामग्री पर विचार किया जाना है, जोकि प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने के स्तर पर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे।

8. उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में निगरानी के निस्तारण हेतु प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 के परिशीलन से प्रकट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक अवलोकन के उपरांत प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विद्वान न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में यह उल्लेख करते हुए कि "आवेदिका द्वारा विपक्षी रामसूरत के विरूद्ध दिनांक 15.04.2024 को करीब 8 बजे सुबह उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है तथा इस प्रकरण में आवेदिका द्वारा प्रार्थना की गयी है कि विपक्षी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया जाये। उपरोक्त प्रकरण में थाने से इस आशय की जाँच आख्या प्राप्त हुई है कि आवेदिका नीतू यादव, निवासी महेवा नया पार, जनपद देवरिया की शादी दिनांक 26.04.2021 को नीतीश निवासी ग्राम बेलवा आटर, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर के साथ हुई थी, जिसमें पति–पत्नी का आपस में विवाद होने के कारण थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर में मु०अ०सं०–733/2023 अंतर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट पंजीकृत है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी रामसूरत की उम्र लगभग 60 वर्ष है, जो हददी थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर के निवासी हैं तथा आवेदिका के पति नीतीश के मामा हैं, जिनको आवेदिका द्वारा बार–बार झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। विपक्षी के खिलाफ आवेदिका द्वारा भिन्न–भिन्न घटनास्थल दिखाकर बार–बार प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। उपरोक्त घटना के संबंध में जाँच की गयी तो घटना की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। उक्त आख्या के साथ मु०अ०सं०–733/2023 की प्राथमिकी, विपक्षी रामसूरत द्वारा आई०जी०आर०एस० सं०–40018824016987 दिनांकित 17.05.2024 शिकायत, थानाध्यक्ष सहजनवां को लिखे गये शिकायती पत्र, जनसुनवाई पर्ची दिनांकित 08.05.2024 तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को भेजी गयी शिकायत दिनांकित 23.09.2023 की प्रति को संलग्न किया गया है। उपरोक्त समस्त आख्या तथा संलग्न प्रपत्रों से विदित होता है कि आवेदिका का अपने पति नीतिश के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है तथा विपक्षी आवेदिका के पति के सगे मामा है। आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका अपने पति के साथ कोई मुकदमा अथवा विवाद लंबित है, परन्तु थाने से प्राप्त आख्या से इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः यह प्रतीत होता है कि आवेदिका स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आयी है। इसके अतिरिक्त थाने से प्राप्त आख्या के साथ संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी रामसूरत द्वारा आवेदिका के विरूद्ध उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व में ही शिकायत दर्ज करायी गयी है जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदिका विपक्षी के साथ गाली गलौज करती है तथा उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। इसके अतिरिक्त थाने से प्राप्त आख्या में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि आवेदिका द्वारा कथित घटना की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। पत्रावली पर आवेदिका द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि आवेदिका द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाने पर कोई भी त्वरित शिकायत की गयी थी। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा आदेश में उल्लिखित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका के कथनों के आधार

पर विपक्षी के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण में कोई भी अपराध प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत न होना पाते हुए आवेदिका के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० को निरस्त करने संबंधी प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 पारित किया गया है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर व सुसंगत प्रावधानों के आलोक में सम्यक विचार करते हुए विस्तृत व सकारण आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश में इसे पारित किए जाने के आधारों का स्पष्ट उल्लेख है।

10. विधि व्यवस्था **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 ए.सी.सी. 287** व **विधि व्यवस्था, अनिल कुमार व अन्य बनाम एम.के.अयप्पा व अन्य, 2013 ए.आई.आर एस0सी0डब्लू0 5570** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मताभिव्यक्ति की गयी है कि मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर यांत्रिक तरीके से आदेश पारित न करके इस पर सम्यक न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। अतः यह विधि व्यवस्था इस मामले में सादर लागू होती है।

11. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 में कोई अवैधानिकता, अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विधि व तथ्यों के अनुकूल होने के कारण इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार दाण्डिक निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 226/2024, नीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निरस्त की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.07.2024 पुष्ट किया जाता है।

निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक–10.03.2026

(नन्द कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4, गोरखपुर।

J.O Code UP1702

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10.03.2026

(नन्द कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4, गोरखपुर।

J.O Code UP1702

Digitally signed by NAND KUMAR
Date: 2026.03.10 16:51:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court